



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी व उड़न दस्ता की संयुक्त टीम द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत की जा रही संघन चैकिंग के दौरान **संदिग्ध स्कूटी से 05 लाख रुपये** की धनराशि बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी व उड़न दस्ता (एस0एस0टी0) की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 05.04.2024 को चिलकाना रोड की तरफ से 01 स्कूटी रजिस्ट्रेशन नं0- UP 11 BV 5567 आती दिखायी दी जिसको संदिग्ध प्रतीत होने पर रूकवाया गया तथा स्कूटी चालक द्वारा अपना नाम सुनील सैनी पुत्र श्याम लाल सैनी निवासी कृष्णा नगर चिलकाना चुंगी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर बताया और जब स्कूटी की चैकिंग की गयी तो स्कूटी की डिग्गी में थैला रखा मिला, थैले को खोलकर चैक किया गया तो उसमें 5,00,000/- रुपये (पाँच लाख रुपये) कैश मिले, बरामद कैश के सम्बन्ध में चालक सुनील सैनी से प्रपत्र मांगे गये तो कोई प्रपत्र नहीं दिखा सका और न ही सन्तोषजनक जवाब दे पाया। उपरोक्त रूपयों की बरामदगी के संबंध में श्री गुरदीप सिंह (स्टेटिक मजिस्ट्रेट) द्वारा विधिक कार्यवाही कर रूपयों को ट्रेजरी में जमा कराया जा रहा है।

व्यक्ति का नाम व पता –

सुनील सैनी पुत्र श्याम लाल सैनी निवासी कृष्णा नगर चिलकाना चुंगी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

पाँच लाख रुपये

बरामद करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक नेमचन्द सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. गुरदीप सिंह (स्टेटिक मजिस्ट्रेट) 03 सहारनपुर नगर
3. उ0नि0 लोकेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 192 अशोक कुमार कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
5. का0 1531 विक्रान्त स्टेटीक टीम जनपद सहारनपुर



प्रेस नोट

दिनांक: 05.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षकश्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **अभिषेक पुत्र मोकम निवासी ग्राम सीकरी कलां थाना चिलकाना सहारनपुर** को संबंधित मु0अ0सं0- 082/2024 धारा 376/506 भादवि व 3(क)/4 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2012 में पटनी चिलकाना तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक पुत्र मोकम निवासी ग्राम सीकरी कलां थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. व0उ0नि0 कृष्णपाल सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. का0 1870 पुनित यादव थाना चिलकाना सहारनपुर ।



प्रेस नोट

दिनांक: 05.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षकश्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त इजहार पुत्र भूरा निवासी मौ० मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर को संबंधित वाद संख्या- 1707/23 धारा 307 भा०द०वि० थाना चिलकाना सहारनपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

इजहार पुत्र भूरा निवासी मौ० मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार वारण्टी का आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं०—201/2020 धारा—380/411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर ।

मु०अ०सं०—261/2020 धारा—307 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर ।

मु०अ०सं०—263/2020 धारा—3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर

मु०अ०सं०—415/2020 धारा—2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर ।

मु०अ०सं०—062/2023 धारा—10 यू०पी० गुण्डा अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट चिलकाना

मु०अ०सं०—34/2024 धारा—379/411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।

2. का० 2235 मुकेश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त मौ० उस्मान पुत्र स्व० कुर्बान अहमद निवासी ग्राम घाटेडा थाना चिलकाना सहारनपुर को संबंधित मु०अ०सं० 181/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भा०द०वि० को जनसेवा केन्द्र बस अड्डा चिलकाना के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

मौ० उस्मान पुत्र स्व० कुर्बान अहमद निवासी ग्राम घाटेडा थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार वारण्टी का आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं०—201/2020 धारा—380/411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर ।

मु०अ०सं०—261/2020 धारा—307 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर ।

मु०अ०सं०—263/2020 धारा—3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर

मु०अ०सं०—415/2020 धारा—2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर ।

मु०अ०सं०—062/2023 धारा—10 यू०पी० गुण्डा अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट चिलकाना

मु०अ०सं०—34/2024 धारा—379/411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

01. उ०नि० विजय सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।

02. है०का० 1052 कुलदीप थाना चिलकाना सहारनपुर ।



दिनांक: 05.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,

कब्जे से 10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम 01 शराब तस्कर **अभियुक्त मनोज पुत्र राजबीर नि0 ग्राम बुन्दूगढ थाना नानौता जिला सहारनपुर** को रुहाडा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 84/24 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ। हरियाणा राज्य से देशी शराब सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मनोज पुत्र राजबीर नि0 ग्राम बुन्दूगढ थाना नानौता जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 जयवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- 2.हे0 का0 821 विनय कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 05.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से

260 ग्राम नाजायज चरस बरामदा

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.04.2024 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त जीशान पुत्र ईनाम निवासी ग्राम सिरसला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को सरस्वती विहार के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 260 ग्राम नाजायज चरस बरामदा हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 108/24 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त जीशान उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब मैं पढा लिखा नहीं हूँ व नशा करने का आदि हूँ। मैं चरस सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक दाम में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं चरस बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

अभियुक्त का नाम व पता:-

जीशान पुत्र ईनाम निवासी ग्राम सिरसला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त जीशान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 482/16 धारा 3 पशु क्रूरता की रोकथाम व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम व 3/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम
2. मु0अ0सं0 39/20 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 206/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 350/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 390/14 धारा 436 भादवि चालानी नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 152/2009 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

260 ग्राम नाजायज चरस

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ नि0 श्री0शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है का0 320 तरुण कुमार0थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है का0 713 नितिन कुमार0थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे

से 300 ग्राम नाजायज चरस बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.04.2024 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त असगर पुत्र अल्ला रखा निवासी ग्राम सिरसला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को यूपीएस माँडल स्कूल सिरसला के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 300 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 107/24 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पक गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि साहब मैं पढा लिखा नहीं हूँ। चरस को सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक दाम में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज जब मैं चरस बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

अभियुक्त का नाम व पता:-

असगर पुत्र अल्ला रखा निवासी ग्राम सिरसला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त असगर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 380/15 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

300 ग्राम नाजायज चरस

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1 प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 नरेन्द्र भडाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का01021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
- 4 है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. का0 2501 प्रताप सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
6. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 05.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर

कच्ची शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब / मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 05.04.2024 को चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर **अभियुक्त रोहताश कुमार पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम धुन्धामाजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को धुन्धामाजरा से पहले नवनिर्मित हाईवे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 106/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ व नशा करने का आदि हूँ। देशी शराब को सस्ते दाम में खरीदकर अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं शराब बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

अभियुक्त का नाम व पता:-

रोहताश कुमार पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम धुन्धामाजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

10 लीटर कच्ची शराब

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री वेदपाल सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1074 कालूराम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 277 आदित्य सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. का0 2286 सुनील कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
6. का0 2245 अंशु यादव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. मन्तरपाल पुत्र जगदीश निवासी मौ० हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर 2. नीटू पुत्र महेन्द्र निवासी मौ० हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर को वाद संख्या - 4424/23 धारा 323/504 भा०द०वि० थाना चिलकाना सहारनपुर को मौ० हामिद हसन कस्बा चिलकाना के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

वारण्टी अभियुक्तों के नाम व पता-

1. मन्तरपाल पुत्र जगदीश निवासी मौ० हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. नीटू पुत्र महेन्द्र निवासी मौ० हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण नीटू व मन्तरपाल-

मु०अ०सं० 362/17 धारा 324/504/506 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ०नि० करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. है०का० 1052 कुलदीप सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर ।
3. का० 2261 राजेन्द्र राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा मारपीट के 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध पोनिया बन्दूक 12 बोर व 03 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 05.04.24 को थाना सरसावा पर वादी सतवन्त सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी ग्राम मंधौर थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार मु0अ0सं0 91/2024 धारा 34/323/352/308 भादवि0 बनाम 01.रमेश पुत्र नेतराम 02.सौरव पुत्र रमेश 03.रणदीप पुत्र नेतराम निवासी गण ग्राम मंधौर थाना सरसावा जिला सहारनपुर के विरुद्ध वादी के पिता बलदेव व ताऊ के लड़के सुखविन्दर के ऊपर घात लगाकर हमला कर मारपीट कर गम्भीर रूप से चोट पहुँचाने के सम्बन्ध में पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल के सुपुर्द की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.04.24 को उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल द्वारा मय हमराही फोर्स के अभियुक्तगण **01.रमेश पुत्र नेतराम 02.सौरव पुत्र रमेश 03.रणदीप पुत्र नेतराम समस्त निवासीगण ग्राम मंधौर थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को काजीबांस से पहले जंगल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सौरव उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयोग कि गई एक पोनिया बन्दूक 12 बोर मय 01 जिन्दा कार0 12 बोर व अभियुक्त रमेश उपरोक्त से 2 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समाय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ की गयी तो तीनों अभियुक्तों ने एक स्वर में कहा कि हम खेत में जई काटने को लेकर बलदेव सिंह से हमारा विवाद हो गया था गुस्से में हम लोगो ने बलदेव के साथ मारपीट की तथा उसके बाद सौरव ने हाथ में ली पोनिया से बलदेव के सिर पर पोनिया की बट से हमला किया था जिससे बलदेव का सिर फट गया था और हम लोग वहा से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

01. रमेश पुत्र नेतराम निवासी ग्राम मंधौर थाना सरसावा जिला सहारनपुर
02. सौरव पुत्र रमेश निवासी ग्राम मंधौर थाना सरसावा जिला सहारनपुर
03. रणदीप पुत्र नेतराम निवासी ग्राम मंधौर थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 पोनिया बन्दूक 12 बोर
- 03 जिन्दा कार0 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह रावल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 2249 काशीराम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

3. का0 2504 रवि कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 1960 टेकचन्द थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. का0 2557 कृष्णा कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज छुरी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण हेतु अवैध शस्त्रों एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री राहुल शर्मा द्वारा अभियुक्त सचिन पुत्र संजय निवासी खारीबांस थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को चैकिंग के दौरान नकुड़ रोड पर फलाई ओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक नाजायज छुरी बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0-92/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सचिन पुत्र संजय निवासी खारीबांस थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 छुरी नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- का0 2391 सोनू कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- का0 2517 शिवकुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर